Serial No. - 28910

Book No.- 4 / Deed No. - 4808

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

D 911946

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Thursday, the 22nd of September 2011 by Dilip Kumar Sah.

A stamp duty of Rs. 1000/- and other fees of Rs. 2744/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and finger prints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 4808 in Book No. 4 , Volume No. 63 on pages from 88 to 103 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 10 / Year 2011.

विनायक SCORE Ver- 2.1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार

Date : 22/09/2011 Token No. : 29456 / 2011

Signature with date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

जिला अवर निबंधक का कार्यालय पटना

न्यास विलेख

सार्वजनिक धातव्य न्यास का यह विलेख आज दिनांक 22.9.11 2011 को निम्नलिखित के द्वारा निष्पादित हुआ :-

श्री दिलीप कुमार साह पिता का नाम लक्ष्मण साह, निवासी- ईशापुर रोड, खानकाह मोड़, थाना- फुलवारीशरीफ,

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

Serial No : 28910 Deed No : 4808
Token No : 29456 of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Self	*Dilip Kumar Sah* 22/9/2011. Signature of Party						
	Dilip Kumar Sah Signature of Party						
	Sony Shekhar Signature of Party						
	Ramesh Rai Signature of Party						
	Md. Afroz Alam Signature of Party						
	Heena Taslim Signature of Party						
	Punam Kumari Gupta Signature of Party						
Identifier	*Ravi Narayan* 22/09/11 Signature of Party						

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR D 911947

(2)

जिला–पटना (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नहीं किये गऐ हैं, उनके निष्पादक प्रशासक एवं अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे संस्थापक, प्रथम भाग कहा गया है।

एवं

1. **श्री सोनी शेखर** पिता का नाम राजेन्द्र प्रसाद साह, निवासी ग्राम, पोस्ट– पेरदाला, थाना–धमदाहा जिला–पूर्णिया।

2. **श्री रमेश राय** पिता का नाम स्व. किशन दयाल राय, निवासी ग्राम– नगमा, डेरापर, थाना– जानीपुर, जिला–पटना

3. **मोहम्मद अफरोज आलम** पिता का नाम मोहम्मद रजा, निवासी– ईशापुर रोड, खानकाह मोड़, थाना– फुलवारीशरीफ, जिला–पटना,

4. हीना तसलीम पिता का नाम मोहम्मद कलाम, निवासी– टमटम पड़ाव फुलवारीशरीफ, पटना

5. **श्रीमती पुनम कुमारी गुप्ता** पिता का नाम अजय प्रसाद गुप्ता, निवासी गाँधी चौक, पूरब सराय मुंगेर, जिसे आगे अन्य भाग को न्यासीगण कहा गया है।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna 801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

यह कि संस्थापक सार्वजनिक धातव्य उद्देश्य से एक न्यास की स्थापना के इच्छुक है और यह कि संस्थापक के आग्रह पर न्यासीगण ने इस विलेख के पक्षधारी बनकर तथा इसे निष्पादित कर इसे प्रमाणित कर दिया है, और यह कि इस विलेख के अन्तर्गत निमित इस सार्वजनिक धातव्य न्यास के उद्देश्यों एवं शर्तो की घोषणा करना आवश्यक है)

अब इस संविदा में निम्नलिखित साक्षी हैं :-

1. यह कि अपने उपरोक्त इच्छा को कार्यरुप देने के लिए संस्थापक ने मो. 51,000/- (इक्यावन हजार) रुपये मात्र की रकम सुरक्षित कर न्यासी को सौंप दी है (जो आगे 'प्रथम कोष' के रुप में नकद, अन्यान्य सम्पत्ति अथवा किसी अन्य प्रकार का निवेश जिसमें वह अथवा उसका कोई अंश समय-समय पर रुपांतरित किया जा सके, निवेषित किया जा सके अथवा न्यासी/न्यासियों द्वारा अर्जित किया जा सके अथवा इस विलेख के से कानूनी कार्रवाई के द्वारा उनके हाथ में आ सके और न्यासीगण उसे धारित करेंगे और अपने कब्जे में रखेंगे जो इस विलेख में निहित्त अधिकारों, व्यवस्थाओं, करारनामा एवं घोषणाओं के अधीन होगा)

2. यह कि इस न्यास का नाम ***शांति वेलफेयर ट्रस्ट*** होगा तथा वर्तमान समय में इसका मुख्य कार्यालय- ईशापुर रोड, खानकाह मोड़, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना एवं उप कार्यालय भारत वर्ष में कहीं भी खोला जा सकता है अथवा समय-समय पर न्यासियों द्वारा तय स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। न्यास का कार्यक्षेत्र बिहार एवं पूरे भारत में होगा।

3. यह कि इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(ए) शिक्षा के विकास एवं उन्नयन तथा सामान्यजनों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, शोध तथा अन्य प्रकार के भारत में संस्थानों की स्थापना, संचालन, समर्थन करना, सहायता देना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(बी) बच्चों की सुदृढ़ प्राथमिक, प्राक्-प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक वरीय माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से स्कूलों/कॉलेजों को स्थापित करना, प्रारंभ करना, संचालित करना, अधिग्रहण करना अथवा उनकी व्यवस्था एवं संधारण करना।

(सी) स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संधारण करना।

(डी) सर्व साधारण के हित एवं उपयोग के लिए अस्पतालों, मेडिकल स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेज पारा मेडिकल,

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग संस्थाओं, दवा-दुकानों, तकनिकी संस्थानों मातृत्व घरों, बाल विकास केन्द्रों एवं/अथवा इसी प्रकार की भारत में अन्य धातव्य संस्थाओं की स्थापना, विकास, संधारण तथा नकदी सहायता करना।

(इ) टंकन, आशु लिपि, कम्प्यूटर, ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मॉडलिंग, योग, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य व्यवसायिक एवं प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था एवं प्रबंधन करना।

(एफ) स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के लिए भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, लेखन सामग्री, परिवहन, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, क्रीड़ास्थल, स्नान कुंड तथा अन्य संभव सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(जी) न्यास के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के काम एवं विस्तार के लिए कर्मचारी, कामगार, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य व्यवसायिकों, प्रबंधकों, अभिकर्ताओं को कार्यरत करना, नियोजित करना, पारिश्रमिक पर नियोजित करना तथा उन्हें वेतन, पारिश्रमिक, शुल्क एवं छात्रवृत्ति देना।

(एच) साक्षरता, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को जागरुकता अभियान कार्यक्रमों, वयस्क शिक्षा कक्षाओं, भाषणों, लेख प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पत्रकार सम्मेलनों एवं विचार गोष्ठी आयोजित कर संवर्द्धित करना।

(आई) न्यास के नाम में भूमि अथवा भवन क्रय/अर्जित करना तथा एवं उसपर भवन निर्माण करना।

(जे) बिना किसी जाति, रंग, वंश, धर्म अथवा लिंग के भेदभाव के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निःशुल्कता एवं अन्य प्रकार की सुविधा की स्थापना एवं संधारण करना जिसमें पुस्तक की आपूत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अध्ययन के लिए अन्य सुविधायें शामिल है।

(के) विद्वान, साहित्य, संगीत, नाट्यकला एवं ललित कलाओं की संस्थाओं को स्थापित करने, बढ़ावा देने, समर्थन देने, संधारण करने के लिए सहायता स्वीकृत करने तथा सर्व साधारण के हित के लिए समतुल्य उद्देश्यों से भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को एवं शोध संस्थाओं का संरक्षण करना।

(एल) जन साधारण के उपयोग के लिए नाव, उधान, बागीचा, व्यायामशाला, खेल-कूद क्लब, धर्मशाला एवं विश्राम गृह की स्थापना करना, संधारण करना तथा सहायता देना।

22/5/2011.

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(एम) गरीबों, जरुरतमन्दों, अनाथों, विधवाओं और बुजुर्गो की सहायता एवं राहत के लिए अनाथालय, बुजुर्गो के लिए आवास, अथवा अन्य संस्थाओं की स्थापना करना, रख-रखाव करना अथवा सहायता देना।

(एन) शारीरिक रुप से विकलांग एवं अपंग अथवा मानसिक रुप से मंद बुद्धि लोगों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना तथा विकसित करना तथा ऐसे लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना।

(ओ) प्राकृतिक आपदाओं यथा अकाल, भूकम्प, बाढ़, आगलगी, महामारी इत्यादि के समय पीड़ित जरुरतमंद लोगों को राहत एवं सहायता प्रदान करना तथा ऐसे कार्यों में संलग्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दान तथा अन्य सहायता प्रदान करना।

(पी) अन्य सार्वजनिक धातव्य न्यासों एवं संस्थाओं को आर्थिक सहायता करना अथवा मदद करना।

(क्यु) ऐसे कार्य/गतिवविधियाँ करना जो न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा जो इसके अनुकूल हो अथवा आकस्मिक हो।

(आर) सर्व साधारण के हित एवं उपयोग तथा छात्र हित हेतु पूरे भारत एवं विश्व में छात्रवृति योजना चलाना।

(एस) देश-विदेश में रह रहे गरीब, जरूरतमंद एवं असहाय नागरिकों हेतु संस्था द्वारा इन्श्योरेन्स (बीमा) संबंधी कार्यो का संचालन करना।

(टी) सुरक्षा सर्विसेज एवं रियलस्टेट संबंधी कार्यो का संचालन एवं कार्यान्वयन करना

(यू) मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गापालन (पॉलट्री फार्म) का कार्य ट्रस्ट के माध्यम से करना।

(भी) पर्यावरण को नियंत्रित करने हेतु वृक्षारोपण का कार्य करना।

(डब्लू) जरूरत एवं असहाय को सिलाई, ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना करना एवं उनके हित के लिए सिलाई मशीन का समुचित व्यवस्था करना।

(एक्स) गाँव एवं शहरों में लोगों के हित के लिए जगह-जगह पर चापाकल, लाईट (रोशनी) एवं सफाई कार्य संबंधी कार्यो का निष्पादन करना।

(वाई) विकलांक नागरिकों के सहयोग के लिए समुचित व्यवस्था करवाना।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(जेड) कृषि संबंधी कार्य हेतु, खाद-बीज, कीटनाशक दवा वर्मीक कम्पोष्ट खाद का समुचित व्यवस्था करवाना एवं रख-रखाव करवाना।

(एए) लघु अद्योग की स्थापना करवाना, जिसमें कि अगरवती, सर्फ, साबुन, धागा, कपड़ा, खिलौना, सिलाई-कड़ाई इत्यादी कार्य संबंधी हेतु लोगों के हित के लिए स्थापना करवाना, रख-रखाव, इत्यादी।

(एबी) बकरी पालन, मधुमखी पालन, गाय-भैस पालन, सुअर-पालन, मुर्गी पालन फार्म, इत्यादी संचालन करना।

(एसी) गाँव एवं शहरों में किराना स्टोर जिसमें कि कि राशन संबंधी, उर्वरक संबंधी, बीज, इत्यादि समान उचित मूल्यों पर समुचित व्यवस्था करना तथा रख रखाव करना।

(एडी) गरीब एवं असहाय व्यक्तिों (पुरूष या महिला) स्वास्थ्य संबंधी टीका करण, परिवार नियोजन, पुरूष नस बंदी आँख, कान, नाक, संबंधी बिमारीयों के लिए हेल्थ कार्ड का सचमुचित व्यवस्था करवाना तथा जाँच करवाकर उचित मुल्य पर दवाई दिलवाना।

(एई) बसुधरा केन्द्र की स्थापना करना एवं सुलभ शौचालय का निर्माण करना।

(एएफ) गरीब एवं असहायक लड़कियों की विवाह के लिए समुचित व्यवस्था करवाना।

(एजी) विधवा और निःसहाय नागरिकों के लिए सहयोग करना।

(एएच) प्रिंट मिडिया ओर इलैक्ट्रोनिक्स मिडिया का संचालन करना।

(एआई) स्वयं सहायकता समूह संबंधी कार्य करना

उपरोक्त सामान्य उद्देश्यों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के एवं उन्हें प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित करने के लिए न्यासियों को पूरा अधिकार होगा कि किसी प्रकार की परिसंपत्तियाँ सहित किसी तरह की सम्पत्ति को धारण करें, कब्जे में लें एवं किसी भवन का निर्माण करें, रख-रखाव करें। न्यास के कर्मचारियों के भले के लिए कोषगठित करने के संदर्भ में न्यास की किसी सम्पत्ति को हस्तांतरित करें अथवा अन्य तरह से निस्सारण करें, बेचें अथवा अनुबंध करें एवं जिस न्यास में इस न्यास की अभिरुचि हो उसका प्रबंधन एवं उपदान स्वीकार करना। न्यासियों को अपने संविधान के अन्तर्गत नियम एवं परिनियम बनाने का अधिकार होगा।

4. संस्थापक भी न्यासियों में से एक होगा, न्यास के सदस्यों के बहुमत से संस्थापक न्यासी अपने जीवन काल में सह-न्यासी नामित कर सकते हैं।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

5. अगर न्यासियों में से कोई दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया जाता है अथवा निर्धन हो जाता है अथवा अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा किसी तरह शारीरिक रुप से कमजोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में शेष न्यासीगण जब तक संस्थापक जीवित है उनकी सहमति से उनकी ओर से न्यासियों के बहुमत से उसे प्रस्थापित कर सकते हैं।

6. अगर न्यासियों के बीच कोई मतभेद हो तो न्यास के बहुमत सदस्यों का न्यास से संबंधित निर्णय बाध्यकारी और प्रभावी होगा तथा इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

7. अपने उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में अथवा कार्य करने में दुष्कर हो जाने पर न्यास की विफलता की स्थिति में न्यासीगण समान विषय में न्यास के शेष कोष के उपयोग के लिए न्यायालय की शरण लेंगे।

8. न्यासीगण किसी भी स्थिति में न्यास की सम्पत्ति की हानि के लिए उत्तरदायी नही होंगे जब तक वे किसी जालसाजी के दोषी नही हैं।

9. यह कि न्यास का कोष उपर्युक्त कंडिका तीन में सुस्पष्ट उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

10. यह कि न्यास कोष को आरंभिक कोष से तथा दान एवं अप्रवासी भारतीयों सहित किसी व्यक्ति से अंश दान लेकर संवर्द्धित किया जा सकता है।

11. यह कि न्यासीगण हमेशा न्यास का उचित खाता संधारित करेंगे जो न्यास के कार्यालय में रखा जायेगा।

(ए) न्यास का बैंक खाता का संचालन संस्थापक प्रथम (प्रशासक/निष्पादक) एवं किसी एक न्यासी के संयुक्त हस्ताक्षर से संपन्न होगा।

12. यह कि न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्यासीगण को निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(ए) कोई भी दान, चंदा, अनुदान एवं सहयोग राशि नकद या वस्तु किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा न्यास से सशर्त अथवा बिना शर्त स्वीकार करने का अधिकार। संस्थापक अथवा न्यासीगण से ऋण भी लिया जा सकता है जिसपर सूद की दर वर्तमान बैंक दर से अधिक नहीं होगी।

(बी) न्यास की आय का सम्पूर्ण अथवा कोई भाग अथवा न्यास कोष या उसमें जमा हुई रकम को न्यास के एक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए जिसे न्यासीगण समय-समय पर अपने विवेक से उचित समझें।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(सी) अस्थायी रुप से न्यास की सम्पत्ति अथवा किसी निवेश को परिवर्तित करना एवं उसका संचालन करना।

(डी) न्यास कोष को अचल सम्पत्ति को गिरवी रखने के उद्देश्य से अथवा शेयर, ऋण पत्र अथवा अन्य परिसम्पत्तियों एवं निवेशों में अथवा बैंक या किसी कम्पनी में निवेश करने का अधिकार। इसमें किसी कम्पनी, बैंक को, व्यवसायिक प्रतिष्ठान को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देने का अधिकार, उसे बदलने, क्रम परिवर्तन करने का अधिकार शामिल है जो समय-समय पर न्यासीगण के विवेक पर होगा।

(इ) मुद्रा उधार लेना, एकत्र करना, भुगतान सुरक्षित करना तथा प्रतिभू सहित या प्रतिभू के बिना रकम उधार देना।

(एफ) न्यास कोष की किसी सम्पत्ति को बेचने, निबटारा करने, स्वत्व अलग करने अथवा अन्य तरीके से निष्पादित करना।

(जी) न्यासकोष में निहित किसी अचल सम्पत्ति को भाड़े पर देना, वसीयत करना उतने समय अथवा उन शर्तो एवं भाड़े पर जिसे न्यासीगण उचित समझें।

(एच) न्यास, न्यासीगण अथवा न्यास द्वारा संचालित किसी बैंक के नाम में खाता खोलना, ऐसे खाते का संचालन करना तथा बैंक को निर्देश देना एवं उक्त खाते को खोलने एवं संचालन के लिए एक अथवा अनेक न्यासीगण या न्यासीगण द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता की व्यवस्था करना।

(आई) न्यास कोष से संबंधित सभी कार्यों, मुकदमों, दावों, मांगों एवं कार्यवाही की सामंजयन करने, बन्दोबस्त करने, सुलहनामा करने, जोड़ने, पंचों के निर्णय के लिए सुपुर्द करना।

(जे) नियोजित प्रतिनिधि अथवा अभिकर्ता को कार्यरत करना एवं ऐसे प्रतिनिधि अथवा अभिकर्तागण को ऐसे अधिकार सौंपने के लिए इस विलेख में है, उन्हें सौपना तथा समय-समय पर ऐसे प्रतिनिधि अथवा अभिकर्ता को हटाना एवं अन्य लोगों को उनकी जगह बहाल करना।

(के) न्यास के संचालन के उद्देश्य से ऐसे ढंग से एवं ऐसी शर्तो एवं बंधेज पर जो न्यासी द्वारा स्वीकृत नियमों एवं परिनियमों के अधीन हो किसी व्यक्ति को नियोजित करना अथवा नियोजन की व्यवस्था करना (जिसमें कोई अथवा सभी न्यासीगण अथवा समितियाँ अथवा प्रशासक अथवा प्रबंधक न्यासी अथवा अन्य शामिल है)। साथ ही पृथक न्यासीगण को नियोजित करने अथवा इसकी व्यवस्था करने जिन्हें समय-समय पर न्यासीगण के विवेक

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

से निमित नियम या परिनियम के अधीन इस विलेख की व्यवस्थाओं के अधीन किसी कोष अथवा निवेश को अपने अधिकार में रखना।

(एल) न्यास के कार्यो एवं इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तथा वेतन, मजदूरी, छात्रवृति या शुल्क का भुगतान करने के लिए उचित कर्मचारी, कामगार, कानूनी विशेषज्ञ, अन्य व्यवसायिकों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकार व्यवस्थापक को नियुक्त करना, नियोजित करना एवं भाड़े पर लगाना।

(एम) न्यास के उद्देश्यों के संचालन तथा उसके प्रबंधन कार्यो के लिए अथवा न्यास के उद्देश्यों के निष्पादन के लिए किसी संस्था का संचालन करने के लिए अथवा अन्य तरीके से न्यास के उद्देश्यों को प्रभावकारी बनाने के लिए किसी नियम, परिनियम, बनाना, परिवर्तन करना, अथवा किसी योजना को संशोधित करना।

(एन) सार्वजनिक हित के लिए किसी परोपकारी अथवा परोपकारी संस्थान का प्रारंभ एवं समापन, बीच में छोड़ देनाा एवं पुनः प्रारंभ करना एवं उनके द्वारा किसी दान अथवा अंशदान पर कोई शर्त लागू करना।

(ओ) न्यास के किसी उद्देश्य के लिए न्यास कोष अथवा न्यास कोष संकुल को अथवा उसके किसी अंश को अलग रखना अथवा एवं उसकी पूरी अथवा आंशिक आय को आवंटित करना।

(पी) इस न्यास के उद्देश्यों एवं प्रकृति के अनुरूप न्यासीगण जो अपने विवेक से उचित समझें उचित शर्तो एवं बंधेज पर दूसरे समान एवं संबद्ध उद्देश्यों वाले न्यास से इस न्यास को जोड़ना, परस्पर सहयोग करना एवं उसमें मिला देना।

(क्यू) न्यास कोष अथवा न्यास संकुल की आयसे अन्य परोपकारी संस्थानों समितियों, संगठनों, न्यासों जिनकी स्थापना भारत में समान परोपकारी उद्देश्यों के लिए हुई हो या होने वाली हो जिसका वर्णन इस विलेख में है अथवा उनमें से किसी संस्था, समिति, संगठन अथवा न्यास को प्रारंभ करने, संधारित करने अथवा ऐसे परोपकारी उद्देश्य को संचालित करने के लिए दान के रूप में सहायता देना।

(आर) सभी खातों का निबटारा करना एवं बिना किसी हानि के लिए जबावदेह हुए बिना जो ऐसे उद्देश्य के लिए उचित समझा जाए। उनका सुलह करना, मिलाना, छोड़ देना अथवा पंचैती के लिए सुपूर्द करना।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(एस) इस विलेख में वर्णित एक या सभी उद्देश्यों के लिए इस न्यास कोष की किसी सम्पति की प्रतिभू पर अथवा अन्य तरीके से पैसा उधार लेना और यह न्यसीगण के लिए विधि सम्मत होगा कि अपने निरपेक्ष स्वविवेक से सूद की दर तथा शर्त एवं बंधेज तय कर ऐसी उधारी प्राप्त करें।

(टी) न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा सरकारी विभागों, जनता एवं अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनियों या व्यक्तियों के साथ किसी योजना या अन्य कामों के लिए न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान सहायता, उपहार, चंदा एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं, शहरी, स्थानीय, निकायों, जिला तथा अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनी या व्यक्तियों के पास आवेदन करना।

(यू) समान उद्देश्यों वाले अन्य परोपकारी न्यास, समिति, संघ, अथवा संस्था को अधिग्रहण करना अथवा अपने में मिला लेना।

(भी) न्यास की किसी शाखा या अन्य न्यास अथवा इसकी किसी शाखा जिसके समान इस न्यास के समान उद्देश्य हैं उसकी स्थापना करना, उसे आगे बढ़ाना, उसका प्रबंधन करना, उसे संगठित करना, अथवा उसे संधारित करना या उसकी स्थापना, विकास, प्रबंधन, संगठन अथवा संधारण में सहायता करना तथा इस न्यास के साथ वैसे अन्य न्यास की सम्बद्धता अथवा समामेलन को आगे बढ़ाना एवं उसका संधारण करना।

(डब्लू) इस न्यास के समान उद्देश्य वाली किसी वर्तमान संस्था या संस्थाओं का अधिग्रहण करना, उसे अर्जित करना, उसका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना वैसी शर्तो एवं बंधेज पर जो हितकर समझे जाए।

(एक्स) जिन न्यासों, समितियों, संस्थाओं अथवा संघों के सम्मेलन के लिए यह न्यास प्राधिकृत है उसे क्रय करना, अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना, उसकी सम्पूर्ण या आंशिक सम्पति, देनदारी एवं प्रतिबद्धता को अधिग्रहित करना।

(वाई) इस न्यास की सारी सम्पति या कोई अंश, वैभव, देनदारी तथा प्रतिबद्धता को एक या अनेक न्यास, समितियों, संस्थाओं अथवा संघों जिसके समामेलन के लिए यह न्यास प्राधिकृत है, उसे हस्तांतरित करना।

(जेड) न्यासीगण अपने पूर्ण स्वविवेक से जिस समिति, निगम, संस्था न्यास या संगठन को इस विलेख में वर्णित अधिकारों व्यवस्थाओं, समझौतों एवं घोषणाओं के अधीन तथा जो इस न्यास कोष के हस्तांतरण से यथा आवश्यक संशोधनों के अधीन है, इस

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

न्यास को किसी दूसरे, निगम, समिति, संस्था, न्यास में हस्तांतरित करना तथा सुपूर्द करना। इस विलेख के न्यासीगण अस्थायी रूप से इस प्रकार हस्तांतरित न्यास कोष के बाबत वर्खास्त समझे जायेंगे।

(13) न्यासीगण मात्र वैसी ही रकम, भंडार, शेयर एवं निधि जो उनके वास्तविक हाथ में आएगी, उसके लिए उत्तरदायी होते तथा कोई न्यासी दूसरे न्यासी की लापरवाही, गलती, भूल-चुक अथवा किसी बैंकर या दूसरे व्यक्ति जिसके पास न्यास की सम्पति या परिसम्पतियाँ रखी या जमा हैं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(14) न्यासीगण न्यास से संबंधित अपने कार्यों में अथवा न्यास से संबंधित अपने वास्तविक सभी खर्चों की स्वयं प्रतिभूति कर सकते है।

(15) न्यासीयों की संख्या संस्थापक सहित दो से कम नहीं होगी तथा सात से अधिक नहीं होगी। अगर न्यासियों की संख्या दो से कम हो जाती है तो न्यासी रिक्तयों को भरने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। जबतक न्यासियों की संख्या न्यूनतम से कम है।

(16) प्रबंधन न्यासी को अस्थायी रूप से यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त संख्या के अन्तर्गत न्यासीगण जितने समय अथवा सेवा निवृति एवं पुनः प्रवेश की जिन शर्तो एवं बंधेज पर उचित समझें अतिरिक्त न्यासी को न्यास में शामिल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति न्यासी नहीं रहेगा अगर (i) अगर वह बिना अवकाश की छुट्टी के न्यास की तीन लगातार बैठकों में अथवा एक कैलेन्डर वर्ष में जो भी अधिकतर हो, उपस्थित नहीं होता है । (ii) अगर उसे तीन चौथाई या यथासंभव उसके करीब शेष न्यासीगण उसे त्यागपत्र देने का आग्रह करते है।

(17) प्रत्येक न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपने इस इरादे का एक महीने का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

(18) समय-समय पर न्यासीगण न्यासीयों की बैठक के संचालन के लिए नियम परिनियम बना सकते है। ऐसे परिनियमों की अनुपस्थिति में :-

(a) न्यासियों की बैठक के लिए दो न्यासीयों का कोरम मान्य होगा।

(b) न्यासीगण सभी मुद्दे परस्पर तय करेंगे।

(c) जो संकल्प न्यासियों की बैठक के बिना पारित हुआ है, लेकिन उनका प्रसारण हुआ है तथा न्यासियों की दो तिहाई संख्या के लिखित हस्ताक्षर युक्त है वह उतना ही मान्य होगा जितना न्यासियों की बैठक में पारित कोई संकल्प।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(19) किसी संशय की स्थिति में कि क्या कोई रकम अथवा सम्पति परोपकार के लिए पूँजी अथवा आय के रूप में तथा क्या आय अथवा पूँजी से कोई खर्च वहन किया जा सकता है या उसका भुगतान किया जा सकता है, न्यासियों को इस पर विचार करने तथा तय करने का अधिकार होगा। ऐसा निर्णय अंतिम ओर बाध्यकारी होगा बशर्ते इसमें ऐसा कुछ नही होगा जो न्यासीगण को न्यास की आय को खर्च करने के लिए अधिकृत करता हैं उन उद्देश्यों के लिए जो इस विलेख द्वारा अधिकृत नहीं है।

(20) न्यास का लेखा वर्ष प्रत्येक साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

(21) न्यास और न्यास कोष सर्वदा के लिए होगा और अपरिवर्तनीय होगा।

(22) न्यास का कार्यालय पटना में स्थित होगा वशर्ते कि यह न्यासियों की दो तिहाई बहुमत से बदल न दिया गया हो।

(23) यह स्पष्ट घोषित किया जाता हैं कि न्यास की सम्पति का काई भी अंश अथवा इसकी आय या वृद्धि भारत के बाहर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए लगायी नहीं जायेगी जो कानून की दृष्टि से परोपकारी उद्देश्य नहीं हैं तथा इसके सभी प्रावधान उसी रूप में लिए जायेंगे।

(24) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की संस्था या कम्पनी एवं राज्य सरकार के विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या केन्द्र सरकार के लोक सभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य से न्यास के विकास के लिए निधि लेने के लिए स्वतंत्र है।

(25) न्यास अपने स्थानयी क्षेत्र के भी प्रमुख जिला परिषद, नगर परिषद, विधायको, विधान परिषदों एवं संसद निधि से न्यास के विकास के लिए सहयोग व निधि ले सकते है।

(26) सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सांसद या अन्य मद में नाव या अन्य सहयोग लेना व कार्यरत करना एवं कराना।

(27) न्यास कोष में निमित किसी अचल सम्पति को भाड़े पर देना, खरीदना, बिक्री करना, अथवा व्यवस्थित करना उतने समय अथवा उन शर्तो पर जिसे न्यासीगण उचित समझें।

(28) ट्रस्ट का विघटन दो तिहाई ट्रस्टीयों के सर्वे सम्पति निर्णय के बाद किया जायेगा और ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की सम्पति अन्य ट्रस्ट अथवा रजिस्टर्ड एन.जी.ओ. में चला जायेगा। विघटित सम्पति का निस्तारण कि कारवाई इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धारा के तहत होगी।

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

(29) न्यास के उद्देश्यों को छोड़कर अन्य धाराओं में परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। किसी ट्रस्टी की मृत्यु उपरान्त उसका उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त होगें एवं ट्रस्ट अनुबंध उपरोक्त आधार पर होगें।

(30) इंडियन स्टैम्प एक्ट की धारा 64 के अनुसार न्यास की सम्पति की मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने के लिए न्यास की सम्पति का मूल्य 51,000/- (इक्यावन हजार) रूपये मात्र पर एक हजार मुद्रांक शुल्क भुगतेय होगी।

उपर्युक्त अंकित दिन, तारीख एवं वर्ष को सभी पक्षकारों ने अपना-अपना हस्ताक्षर निम्न गवाहों के समक्ष बना दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे :-

गवाहगण :-

1. संतोष कुमार पाठक
आदर्श नगर
फुलवारी शरीफ
पटना
22/9/11

संस्थापक का हस्ताक्षर

Soni Shekhar
22-09-2011

2. सत्येन्द्र सिंह
पिता स्व० महेन्द्र सिंह
पता: नवलपुर (बड़ी रक्सौल)
थाना+पो० रक्सौल
जिला पटना
22/9/11

Md. Afroz Alam
22/09/11

Hena Tasneem
22/09/11

3. रविनारायण
पिता- श्रीचन्द्रेश्वर प्रसाद
...नगर आई० जी० आशियाना नगर
पटना
22/09/11

Punam Kumari Gupta
22/9/2011.

न्यासियों का हस्ताक्षर

मुद्रित किया :-

प्रारूप तैयार किया।

22/9/11

संजय कुमार
22/9/11

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, Patna-801505

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	1000	*Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* **Rs. 1000**
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0	*Amt. paid through Bank Challan -* **Rs. 2744**

Registration Fee

FEE PAID

						LLR + Process Fee	Service Charge
A1	2040 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0	LLR 0	
A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc. Fee 0	400
A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 Mb	0	Total- 0	
A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	54		
B	0 H1a	0 J2	0 Li	0			

TOTAL- 2344

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 2744

Date : *22/09/2011*

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Thursday, 22nd September 2011 by Dilip Kumar Sah S/O-Laxuman Sah by profession Others. Status

Signature / L.T.I. of Presentant **Date :** *22/09/2011*

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Ravi Narayan age .... Sex M son/daughter of S/O-Sri Chandeshwar Prasad resident of Lig, Ashiyana Nagar, Patna..) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 22/09/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 4 Volume No. 63 on page no. 88 - 103 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-10 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : *22/09/2011*

Registering Officer
Patna

MANAGER
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152

CHAIRMAN
SHANTI WELFARE TRUST
Phulwari Sharif, P...

PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
Koilara, Dawan, Jagdishpur
Bhojpur-802152